

2026:AHC:49493

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 983/2026

संतोष कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: जमवंत राम मौर्य

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जामवंत राम मौर्य, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल और प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रतिकारों हेतु प्रस्तुत की गई है:-

(ए) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 4 सहायक कलेक्टर/तहसीलदार के समक्ष लंबित कार्यवाही को निरस्त किया जाए। जबकि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 28 के अंतर्गत कार्यवाही पूर्व से ही लंबित है, जिसमें ग्राम बरई, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी स्थित गाटा संख्या 784 चक मार्ग सहित गाटा संख्या 781, 794, 796 एवं 792 के नक्शे के संशोधन का विषय विचाराधीन है।

(बी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए राजस्व परिषद, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह स्थगन प्रार्थना पत्र सहित पुनरीक्षण संख्या 1711 वर्ष 2025, वीरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम रवि शंकर एवं अन्य, जो उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 28 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न है, का निस्तारण करे।

(सी) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो संबंधित अधिकारियों अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 को यह निर्देशित करे कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करें।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901' (जिसे आगे "यू.पी.एल.आर. एक्ट" कहा गया है) की धारा 28 के तहत शुरू की गई कार्यवाही निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा विधिवत किया गया था। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण में, वाद को यू.पी.एल.आर. एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत पुनः निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया, अतः याची द्वारा पुनरीक्षण संख्या 1711 वर्ष 2025 प्रस्तुत किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा कि यू.पी.एल.आर. एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत विवाद के अंतिम निर्णय के बिना, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्राधिकारियों द्वारा अवैध रूप से प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि लंबित पुनरीक्षण संख्या 1711/2025 के त्वरित निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए तथा जब तक पुनरीक्षण लंबित है, तब तक प्राधिकारी वादगत भूखंड के संबंध में याची के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण में पारित रिमाण्ड आदेश के विरुद्ध याची द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण, जो यू.पी.एल.आर. एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न है, प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है।

6. जहाँ तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद की कार्यवाही का संबंध है, इस न्यायालय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की कार्यवाही के स्थगन/निरस्तीकरण से संबंधित मामले को सुनने एवं निर्णय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 19.07.2005, जिसके द्वारा याची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, को संज्ञान में लेते हुए, मामले के गुण-दोष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, संबंधित पक्षकारों को विधि के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण यथाशीघ्र, अधिमानतः 3 माह की समयावधि के भीतर करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण के अंतिम निस्तारण तक, प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूखंड के संबंध में याची के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

11 मार्च, 2026

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)